COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

THE UTTAR PRADESH PUBLIC EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ACT, 1998

[U.P. ACT NO. 13 OF 1998]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

to prevent the leakage of question papers and the use of unfair means at public examinations and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER- I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 1998.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 18, 1998.

Definitions

2- In this Act-

(a) "examination centre" means any institution or part thereof or any other place fixed for the holding of a public examination and includes the entire premises attached thereto;

(b) "examinee" means a person who has been granted permission to appear in a public examination and includes a person authorized to act as scribe on his behalf;

(c) "public examination" means an examination specified in the schedule, conducted for the awarding or granting of any degree, diploma, certificate or any other academic distinction to a person who is lawfully declared to have been successful at such examination;

(d) "unfair means" in relation to an examinee while answering questions in a public examination means the unauthorized help from any person directly or indirectly, or from any material written, recorded, copied or printed, in any form whatsoever, or the use of any unauthorized telephonic, wireless or electronic or other instrument or gadget.

CHAPTER – II

PREVENTION OF UNFAIR MEANS

Prohibition of the use of unfair means

3- No examinee shall use unfair means at any public examination.

Unauthorized Possession and disclosure of question paper

4- No person, who is not lawfully authorize or permitted by virtue of his duties so to do shall, before the time fixed for distribution of question papers to examinees at a public examination, -

(a) procure or attempt to procure or possess, such question paper or any portion or a copy there of; or

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(b) impart, or offer to impart, information which he knows or has reason to believe, to be related to, or derived from, or to have a bearing upon such question upon such question paper.

Prevention of leakage by person entrusted with examination work

5- No person, who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do, directly or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him.

Prohibition on entry into an Examination Centre

6- No person, who is not entrusted with any work pertaining to public examination, or who is not an examinee shall during the continuance of public examination enter into an examination centre or having entered into such centre remain there or provide any help or assistance to an examinee in using unfair means in the public examination.

No person on the management etc. shall assist to an examinee

7- No person who is on the management or on the staff of an institution which is being used for the holding of a public examination, or who is entrusted with any work pertaining to public examination, shall provide any help or assistance to an examinee in using unfair means in public examination.

No place other than examination centre shall be used for public examination

8- No person shall use or cause to be used any place, other than the examination centre, for the purposes of holding of public examination.

CHAPTER –III

PENALTY AND PROCEDURE

Penalty for use of unfair means

9- Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 shall be punished with imprisonment for a term which may extent to three months or with fine which may extent to two thousand rupees or with both.

Penalty for leakage

10- Whoever, contravene or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 4 or section 5 or section 6 or section 7 or section 8, shall be punished with imprisonment for a term which may extent to one year or with fine which may extent to five thousand rupees or with both.

Penalty for offence with preparation to cause hurt etc.

11- Whoever, commits an offence punishable under section 9 or section 10 having made preparation for, causing death of any person or causing hurt to any person or assaulting any person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of death or hurt or assault or wrongful restraint shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

Procedure

12- (1) An offence punishable under section 9 shall be cognizable and bailable.

(2) An offence punishable under section 10 or 11 shall be cognizable and non-bailable.

(3) All offences punishable under this Act shall be tried summarily by a Metro-Politian Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class and the provisions of sub-section (1) of section 262, section 263, section 264 and section 265 of the code of Criminal Procedure, 1973 shall *mutatis mutandis* apply to such summary trial.

CHAPTER-IV

MISCELLANEOUS

Protection of action taken in good faith

13- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

Power to amend Schedule

14- The State Government may, by notification, include in the Schedule, any other examination, in respect of which it considers necessary to apply the provisions of this Act and upon the publication of such notification in the *Gazette* the Schedule shall be deemed to be amended accordingly.

Power to make Rules

15- The State Government may, by notification, make rules for caring out the purposes of this Act.

Repeal and saving

16- (1) The Uttar Pradesh Public Examination (Prevention of Unfair Means) Ordinance, 1998 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

SCHEDULE

[See section 2(c)]

1- High School and Intermediate examinations conducted by the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh under the Intermediate Education Act, 1921.

2- Any examination conducted by any University or any other Board or body established by or under an Uttar Pradesh Act.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1998}

{जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ}

सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों के समय के पूर्व प्रकटन और अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

(2) यह 18 मार्च, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं

2–– इस अधिनियम में, ––

(क) ''परीक्षा केन्द्र'' का तात्पर्य किसी सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिए निर्धारित किसी संस्था या उसके भाग या किसी अन्य स्थान से है और इसके अन्तर्गत उससे सम्बद्ध समस्त परिसर भी है;

(ख) ''परीक्षाथी'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे किसी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(ग) ''सार्वजनिक परीक्षा'' का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी परीक्षा से है, जो उसमें विधिपूर्वक सफल घोषित व्यक्ति को कोई उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदत्त या अनुदत्त करने के लिए संचालित की जाय;

(घ) किसी परिक्षार्थी के सम्बन्ध में, जब कि वह सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो, ''अनुचित साधन'' का तात्पर्य अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित, अंकित (रेकार्डेड), प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से या किसी टेलीफोन, वायरलेस या इलेक्ट्रानिक या अन्य यंत्र या जुगत के अप्राधिकृत प्रयोग से है।

अध्याय–दो

अनुचित साधनों का निवारण

अनुचित साधनों के प्रयोग का निषेध

3–– कोई परीक्षार्थी, किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।

प्रश्न–पत्र को अप्राधिकृत प्राप्ति और प्रकटीकरण

4–– कोई व्यक्ति, जिसे अपने कर्तव्य–पालन के सम्बन्ध में ऐसा करने के लिए प्राधिकार या अनुज्ञा विधिपूर्वक प्राप्त नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रश्न–पत्र के वितरण के लिए निर्धारित समय के पूर्व,–

(क) न तो ऐसे प्रश्न–पत्र या उसके किसी भाग को या उसकी किसी प्रतिलिपि को हस्तगत करेगा, न हस्तगत करने का प्रयास करेगा, न कब्जे में रखेगा,

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) न ऐसी कोई सूचना किसी को देगा या देने का प्रस्ताव करेगा, जिसके बारे में उसे यह जानकारी या विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे प्रश्न—पत्र से सम्बन्धित या व्युत्पन्न या संदर्भित है।

ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे परीक्षा कार्य सौंपा गया है, जानकारी देने का निषेध

5—— कोई व्यक्ति, जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा जाय, ऐसी स्थिति के सिवाय जिसमें उसे अपने कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में ऐसा करने की अनुज्ञा दी गयी हो, ऐसी सूचना या उसके भाग को जो उसे इस प्रकार सौंपे गये कार्य के आधार पर उसकी जानकारी में आई हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो प्रकट करेगा, न प्रकट करायेगा और न किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जानकारी देगा।

परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पर निषेध

6—— कोई व्यक्ति, जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा न गया हो, या जो परीक्षार्थी न हो, सार्वजनिक परीक्षा के जारी रहने के दौरान परीक्षा केन्द्र में न तो प्रवेश करेगा, न ऐसे केन्द्र में प्रवेश करके वहां बना रहेगा और न सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान करेगा।

प्रबन्ध तंत्र इत्यादि का कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी का सहयोग नहीं करेगा

7—— कोई व्यक्ति, जो ऐसी संस्था के, जिसे सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो, प्रबन्धतंत्र में होते हुए या कर्मचारिवर्ग में होते हुए या जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया हो, सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान नहीं करेगा।

सार्वजनिक परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं किया जायगा

8—— कोई व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के प्रयोजन के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी स्थान का न तो उपयोग करेगा और न उपयोग करने देगा।

अध्याय—तीन

शास्ति और प्रक्रिया

अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए शास्ति

9—— जो कोई धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

जनकारी देने के लिए शास्ति

10—— जो कोई धारा 4 या धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 या धारा 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

उपहति आदि कारित करने की तैयारी के साथ अपराध की शास्ति

11—— जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति या उस पर हमला या उसका सदोष अवरोध कारित करने की, या मृत्यु का, या उपहति का या हमले का, या सदोष अवरोध का, भय कारित करने की तैयारी करके धारा 9 या 10 के अधीन दण्डनीय अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

प्रक्रिया

12—— (1) धारा 9 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा।

(2) धारा 10 या धारा 11 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध का किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे संक्षिप्त विचारण पर लागू होंगे।

अध्याय—चार

विविध

सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण

13—— राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति

14—— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी अन्य परीक्षा को जिसके सम्बन्ध में वह इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना आवश्यक समझती है, अनुसूची में सम्मिलित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के गजट में प्रकाशन पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

15—— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

16—— (1) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची

{धारा 2 (ग) देखिये}

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन आध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षायें।

(2) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य परिषद् या निकाय द्वारा संचालित कोई परीक्षा।